प्रतिनिधियों की स्थितियाँ

निर्देशित प्रतिनिधित्व

इसके अनुसार प्रतिनिधि को अपने निर्वाचकों की इच्छाओं तथा विचारों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इन्हें अपने निर्वाचकों द्वारा निर्देश लेकर कार्य करना चाहिए। निर्वाचकों के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि यदि प्रतिनिधि उनके निर्देशानुसार कार्य न करें तो उसे वापस बुला लें और किसी अन्य को पुनः प्रतिनिधि चुनकर भेजें।

रूसो का इस सम्बन्ध में कहना है कि "प्रतिनिधि निर्वाचकों का अभिवक्ता मात्र ही है। अगर वह अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभाता तो निर्वाचकों को यह अधिकार है कि वह उसे वापस बुला लें।

निर्देशित प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित विभिन्न तर्क निम्नलिखित हैं

जन-इच्छा की अभिव्यक्ति इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र की जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति की जा सकेगी और एक सच्चा लोकतन्त्र स्थापित हो सकेगा।

राजनीतिक शिक्षा इसके द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि प्रतिनिधि जनता द्वारा विभिन्न मसलों पर सलाह लेगें

दल बदल पर प्रतिबन्ध इसके प्रयोग से दल–बदल पर अपने आप प्रतिबन्ध लग जाएगा। अवसर वादी नेता जनता द्वारा वापस बुलाए जा सकेंगें।

विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार

• भारत	18	• फ्रांस व जर्मनी	20
• डेनमार्क व जापान	25	• नॉर्वे	23
• अन्य सभी में	18 वर्ष		

संघ राज्य की श्रेष्ठता इससे संघ राज्य की श्रेष्ठता सिद्ध होगी क्योंकि संघ में इकाइयों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा तथा प्रतिनिधि बार–बार विभिन्न समस्याओं पर मतदाताओं से सलाह लेंगे।

Scanned with CamScanner

लोकहित सुनिश्चित इस प्रक्रिया के द्वारा लोकहित सुनिश्चित हो सकेगा। क्योंकि प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचकों की इच्छाओं द्वारा ही कार्य करना होगा।

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

विश्व के विभिन्न देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था है। बहुमत निर्वाचन पद्धति के कारण यह प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र सम्पूर्ण जनता का शासन न होकर 'बहुमत का शासन' होता है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की कहीं-न-कहीं अवहेलना की जाती है। अत: इसे 'बहुमत का अत्याचार' की संज्ञा दी जाती है। जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पुस्तक 'प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र' में अल्पसंख्यकों के हित का समर्थन करते हुए कहते हैं कि "विद्यमान शासन संभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शासन नहीं है, वरन् यह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक एवं सर्वसमान लोकतन्त्र में प्रत्येक वर्ग को अपनी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।"

प्रसिद्ध विद्वान् लैकी के अनुसार, "अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने का महत्त्व अति महान् है। यदि किसी चुनाव क्षेत्र के दो-तिहाई मतदाता दूसरे दल को मत दें तो यह स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक वर्ग को दो-तिहाई और अल्पसंख्यक वर्ग को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।"

अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न पद्धतियों का प्रतिपादन किया गया है जिनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार विभिन्न वर्गों को उनकी मतदान शक्ति के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जबकि अल्पसख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की अन्य पद्धतियों में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रतिनिधित्व उनकी मतदान शक्ति के अनुपात में हो।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

इस प्रणाली का प्रतिपादन 18वीं सदी में एक अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर द्वारा अपनी पुस्तक 'प्रतिनिधि का चुनाव' में किया गया था। अत: इस प्रणाली को 'हेयर प्रणाली' भी कहा जाता है। उनके अनुसार इस पद्धति में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अन्तर्गत वे ही उम्मीदवार विजयी माने जाते हैं जिन्हें बहुमत नहीं, वरन् मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन अर्थात् 'चुनाव कोटा' प्राप्त हो जाए। इसके लिए विभिन्न विचारकों ने अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया जिनमें मुख्यत: दो प्रणाली हैं

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली

सामान्यत: आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर ही अपनाया जाता है। इसके अन्तर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का होना आवश्यक है इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चाहे जितनी भी क्यों न हो प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है। मत देने की प्रणाली इस प्रकार होती है कि मत पत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं प्रत्येक मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे उपयुक्त समझता है। उसके नाम के आगे अपनी प्रथम पसन्द तथा उसके पश्चात् अन्य उम्मीदवार के आगे द्वितीय, तृतीय पसन्द लिखता है। इस प्रकार जितने सदस्य निर्वाचित होने हैं उनके आगे क्रमश: अपनी पसन्द लिख देता है। इसके अन्तर्गत जब एक उम्मीदवार अधिक लोकप्रिय होने के कारण निश्चित संख्या से अधिक मत प्राप्त करता है तो अतिरिक्त मतों को अन्य उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

यदि कोई उम्मीदवार इतना कम मत पाए कि उसके निर्वाचित होने की सम्भावना न हो तो मतदाताओं की पसन्द के अनुसार इन्हें अन्य उम्मीदवार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। मत हस्तान्तरण की इस प्रकिया के कारण इसे 'एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' कहा जाता है।

मत संख्या

इस प्रणाली के अनुसार निश्चित मत संख्या निकालने के लिए प्रयोग में आए मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार इस पद्धति द्वारा परिणाम उचित नहीं निकलते इसलिए वर्तमान समय में इस पद्धति को त्यागकर ड्रूप की पद्धति को अपनाया गया है। इसके अनुसार निश्चित मत संख्या निकालने के लिए प्रयोग आए मतों की सख्या में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या को एक से अधिक विभाजित किया जाता है और परिणाम में एक जोड़ा जाता है।

मतगणना

मत संख्या निकालने के पश्चात् सभी मत-पत्र प्रथम पसन्द के अनुसार छाँटे जाते हैं जिन उम्मीदवारों को निश्चित संख्या या उससे अधिक मत प्राप्त होते हैं वे निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। यदि इस प्रकार सभी स्थान भर नहीं पाते तो सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त अन्य उम्मीदवारों को हस्तान्तरित करके द्वितीय पसन्द वाले उम्मीदवारों को बाँट दिए जाते हैं। यदि इस पर भी सभी स्थान नहीं भर पाते तो सफल उम्मीदवारों की तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं पसन्द इस प्रकार ही हस्तान्तरित की जाती है। इसके बावजूद यदि कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं तो जिन उम्मीदवारों को सबसे अल्प मत प्राप्त हुए हैं उनको पराजित घोषित कर उनके मतों को दूसरी, तीसरी तथा चौथी पसन्द वाले उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी स्थानों की पूर्ति न हो जाए।

सूची प्रणाली

आनुपातिक मत प्रणाली का एक अन्य रूप सूची प्रणाली है। इस प्रणाली में भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र में 15-20 सदस्य चुने जा सकते हैं। इस प्रणाली में उम्मीदवारों की उनके दलों के अनुसार अलग-अलग सूची बना ली जाती है। प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर मत दे सकता है पर एक उम्मीदवार को केवल एक ही मत प्राप्त होता है। इस प्रणाली में उम्मीदवारों के प्राप्त मतों की पृथक्-पृथक् गणना नहीं की जाती। वरन् ड्रूप की आनुपातिक प्रणाली के आधार पर निश्चित मत संख्या निकाली जाती है। इस मतसंख्या के आधार पर प्राप्त मतों के अनुसार प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए यह निकाल लिया जाता है। सूची में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित मान लिया जाता है। इस योजना के अनुसार सभी दलों को उनकी शक्ति के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner